भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1969

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

तटीय सुरक्षा हेतु किये गए उपाय

1969. श्री रामदास अठावले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा हमारे देश को मिल रही धमकियों के संदर्भ में देश की तटीय सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए हैं; और

(ख) देश में तथा पूरे विश्व में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए हमारी तटीय सुरक्षा को और प्रभावी और आक्रमक बनाने के लिए क्या नई योजनाएं है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): भारत सरकार ने समुद्र के रास्ते आतंकवादी खतरों के प्रति देश की तटीय सुरक्षा के रक्षोपाय हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं-

- **हमारे संपूर्ण तट पर राज्य समुद्री पुलिस, भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौ सेना द्वारा एक त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच मुहैया कराया जा रहा है। भारतीय नौ सेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की चौकसी करती है, जबकि भारतीय तटरक्षक को 200 नॉटिकल मील अर्थात् भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तक गश्त और निगरानी का अधिदेश है तथा राज्य समुद्री पुलिस उथले तटीय क्षेत्र में नौका गश्त लगाती है।**
- **भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में नामोदिष्ट किया गया है।**
- **महानिदेशक, तटरक्षक को तटीय कमान के कमांडर के रुप में नामोदिष्ट किया है और उन्हें तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।**

- तटीय क्षेत्रों में गश्त और चौकसी के लिए तटीय सुरक्षा बल की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से चरणों में तटीय सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- राज्य तटीय पुलिस बल, केन्द्र और शाखा की अवधारणा के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक के साथ मिलकर गहनता से कार्य करते हैं, जहां केन्द्र भारतीय तटरक्षक स्टेशन हैं और शाखाएं तटीय पुलिस थाने हैं।
- तटरेखा पर अंतराल रहित इल्क्ट्रानिक चौकसी भारतीय तटरक्षक के 46 राडार स्टेशनों और प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश जलयान महानिदेशालय के 74 स्वचालित पहचान प्रणाली रिसीवर स्टेशनों के उपयोग द्वारा की जा रही है।
- समुद्र में जाने वाले जलयानों के पंजीकरण और उन पर सवार लोगों की पहचान को अनिवार्य बनाया गया है।
- भारतीय तटरक्षक द्वारा अन्य हितधारियों से समन्वय करके संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं ताकि तटीय सुरक्षा में शामिल केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके।
- तट रक्षक द्वारा आसूचना जानकारी पर आधारित तटीय सुरक्षा अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं/उनमें भाग लिया जा रहा है।

(ख): तटीय सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक से बचने के उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार, जब और जहां अपेक्षित होता है, विभिन्न पहलें करती है।